

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 1978/आषाढ़ 26, 1900
No. 210] NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 1978/ASADHA 26, 1900

इस भाग में सिद्ध पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1978

सां० का० वि० 373 (अ) :- कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के रिजर्व बैंक के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कम्पनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 1975 को प्रागे संशोधित करने के लिए विम्नांकित नियम बनाती है, नामशः :-

1. (1) इन नियमों को कम्पनी (जमा राशियों की स्वीकृति) अतुर्थ संशोधन नियम, 1978 कहा जायेगा।

(2) ये राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. कम्पनी (असा राशियों की स्वीकृति) नियम, 1975 के नियम 2 के वाक्य (ख) में—

(क) उप वाक्य (IV) के स्थान पर निम्नलिखित उप वाक्य प्रतिस्थापित किया जायेगा,
नामशः :—

“(IV) एक कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी से प्राप्त कोई राशि” ;

(ख) 1 अप्रैल 1980 से इस प्रकार संशोधित उप वाक्य (IV) के स्थान पर निम्न-
लिखित उप वाक्य प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामशः :—

“(IV) एक कम्पनी द्वारा किसी अन्य कम्पनी से प्राप्त कोई राशि जहाँ पहली
कम्पनी से व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है और जहाँ से
कोई असा राशि स्वीकार नहीं किया है।”

[मिनिस्त्र संख्या 4/11/78-सी० एल० XI]

एस० सी० मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 1978

G.S.R. 373(E).—In exercise of the powers conferred by section 53A, read with section 642, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Fourth Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (b) of rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975,—

(a) for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

“(iv) any amount received by a company from any other company.

(b) for sub-clause (iv) as so amended, the following sub-clause shall be substituted with effect from 1st day of April, 1980, namely :—

“(iv) any amount received by a company from any other company where the former company has not gone into commercial production and has not accepted any deposit from the public.”

[File No. 4/11/78-CL. XI]

S. C. MITTAL, Jt. Secy.